न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-115/2006

1-धर्मा बेवा सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी
2-धर्मपालसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपुत निवासी } जाखोद तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू ।

3-रामौतार पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट निवासी कुलोठकंला तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

मृतक" कौमसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी जाखोद तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू " नोट दौराने अपील दिनांक 2-4-17 को देहान्त हो गया ।"

1/1- शक्तिसिंह
1/2- रणजीतसिंह
1/3- जयविजय बहादूरसिंह } पुत्रगण स्व0 कौमसिंह जाति राजपूत निवासी जवान सिंह की ढाणी तन जाखोद तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू ।

1/4- मंजूकंवर पुत्री स्व0 कौमसिंह पत्नी रघुवीरसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम पोस्ट मुनरास जिला चुरू (राज0)

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-6-2006 द्वारा उप खण्ड अधिकारी चिडावा ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री जगदीशचन्द्र एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री भगवानसिंह शेखावत एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 15.12.2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट ने योग्य अदालत अदालत मातहत में दावा इस्तकरारहक हुक्म इम्तनाई दवामी का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 206 रकबा 2.79 हैक्टर वाके ग्राम जाखोद का वादी कानूनन खातेदार काबिज काश्तकार है ।इस आराजी पर भूलवश प्रतिवादीनी सं0-1 का नाम दर्ज हो गया । जिसे प्रतिवादीनी धर्मा देवी ने वादी के नाम दुरूस्त करवा दिया । प्रतिवादी का इस आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । इस आराजी को सदा से ही वादी काश्त करता आ रहा है । विवादित आराजी का राजस्व रेकार्ड दुरूस्त हो गया तथा महकमा बन्दोबस्त से वादी के नाम से पर्चा लगान बाद जाँच जारी कर दिया ।इसके बाद प्रतिवादीनी ने बिना वादी को बताये अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा लिया ।जबकि प्रतिवादीनी का इस आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है ।रेवन्यू अधिकारियों ने बिना कब्जे की जांच किये ही राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीनी का नाम दर्ज कर×× दिया । जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था । यह इन्द्राज कायम रहने से वादी के हकूकों पर विपरित असर पडता है जिसको दुरूस्त कराने का अधिकारी है । सवाईसिंह पुत्र भूरसिंह वादी का सगा जायन्दा भाई था जिसका स्वर्गवास सन् 1979 में हुआ । उस वक्त सवाईसिंह बहुत ज्यादा कर्जा से दबा हुआ था जिसके द्वारा कर्जा की अदायगी करना कतई सम्भव नहीं था । इस कारण उक्त सवाई सिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादीनी संख्या-1 धमदिवी अपने पीहर चली गई । इसके बाद वादी के भाईयों ने व कुटुम्ब परिवार के लोगों ने यह तैय किया कि सवाईसिंह का जो कर्जा है वह वादी कौमसिंह अदा करे और सवाईसिंह की खातेदारी की भूमि ख0नं0 206 रकबा 2.79 हैक्टर की काश्त वह करें । इस पर वादी ने सवाईसिंह का कर्जा चुकाया एवं उक्त आराजी को काश्त की । जिसका खाता प्रतिवादीनी सं0-1 ने दुरूस्त करवा दिया जिसके आधार पर खाता दुरूस्त हो गया पर्चा लगान वादी के नाम दर्ज हो गया तथा नामान्तरकरण सं0-3 दिनांक 12-1-1988 सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर ने वादी कौमसिंह के नाम दर्ज कर दिया जिसके आधार पर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दर्ज हो गया ।धमदिवी ने अपना दुसरा

रोहतक से कर लिया । जिसके नुत्फे से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राजीया तथा एक पुत्री जिसका नाम गीता है ।इस प्रकार प्रतिवादीनी-। धमदिवी कानूनन उक्त मृतक सवाईसिंह की वारिस नहीं है। उसको किसी भी प्रकार अधिकार हक अधिकार उक्त आराजी के प्राप्त नहीं है ।तथा दूसरा विवाह करने पर यदि अधिकार प्राप्त भी हो गये तो वह स्वत: ही समाप्त हो गये हैं । प्रतिवादीनी संख्या-। ने दिनांक 28-5-1999 को झगडा किया एवं उक्त आराजी की खातेदारी अपने नाम से करवाये जाने के बारे में बताया । तब वादी ने पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल ली तो रेकार्ड की जानकारी हुई जिस पर यह दावा पेश किया । धमदिवी ने दिनांक 19-11-99 को प्रतिवादी संख्या-3 को विक्रय कर दिया किन्तु प्रतिवादी संख्या-3 का कब्जा नहीं हुआ ।यह विक्रय पत्र दावा दर्ज होने के बाद किया है । जो लिसपेन्डनेस् के सिद्धान्त से प्रभावित है। और इस प्रकार का विक्रय पत्र सैक्शान-52 ट्रान्सफर आफ प्रोपर्टी एक्ट के प्रावधानों के विपरित है तो अवैध व शून्य है । जिसके आधार पर प्रतिवादी सं0-3 के हक में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ।अत: वादी का दावा स्वीकार कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादीनी सं0-। का नाम हजफ किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली का है । अदालत मातहत ने विवाद बिन्दू संख्या-। से 3 अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णित करने में कानूनी भूल की है । रेस्पोडेन्ट ने माह जून 1999 में पेश किये अपने दावे में दर्ज किया कि आराजी ख0नं0 206 रकबा 2.79 हैक्टर जाखोदा का वह खातेदार काश्तकार है । सहवन से अपीलान्ट के नाम खातेदारी गलत दर्ज हो गई । किन्तु रेस्पोडेन्ट ने अपने दावे में यह दर्ज नहीं किया कि उसे यह खातेदारी कैसे मिली। दावे में यह भी दर्ज किया कि प्रतिवादीनी सं0-।/अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के पक्ष में रेवन्यू रेकार्ड दुरूस्त करवा लिया। किन्तु दावे में यह दर्ज नहीं किया कि रेवन्यू रेकार्ड में दुरूस्ती किसने किस आधार पर कब की तथा रेस्पोडेन्ट ने मद संख्या-5 जरिये संशोधन जोडी जिसमें सवाईसिंह का स्वर्गवास 1979 में होना व उसकी

बेवा प्रतिवादी सं0-1 को होना दर्ज किया । इस प्रकार विवादित आराजी का खातेदार सवाईसिंह हुआ और उसके मरने के बाद उसकी बेवा अपीलान्ट धर्मा देवी हुई । रेस्पोडेन्ट ने टीनेन्सी पैदा होने का वैध आधार दर्ज नहीं किया । केवल सवाईसिंह का कर्जा चुकाना बताया है ।दावें में मद संख्या-6"क" बाद में जोडी गई जिसमें प्रतिवादी सं0-1 धर्मा देवी ने दिनांक 19-11-1999 को उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट सं0-3 को बैचान कर दी । उक्त दोनो तथ्य परस्पर विरोधी दर्ज किये है । रेस्पोडेन्ट ने दावे में अपीलान्ट का नाम भूलवश दर्ज होना बताया है ।जबकि रेस्पोडेन्ट ने दावे में विवादित आराजी का टीनेन्ट सवाईसिंह को बताया है तथा सवाई सिंह के देहान्त के बाद इस आराजी की टीनेन्ट अपीलान्ट हुई है ।हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा-14 के प्रावधान के मुताबिक अपीलान्ट सं0-1 पूर्णतया मालिक है ।इस प्रकार अपीलान्ट संख्या-1 को टीनेन्सी मिलने के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के मुताबिक ही टीनेन्सी खत्म हो सकती है । धारा-63 के प्रावधान अपीलान्ट पर लागू नहीं होते हैं। रेस्पोडेन्ट ने दावे में बताया कि अपीलान्ट संख्या-1 ने सवाईसिंह के देहान्त के बाद दूसरी शादी कर ली इस कारण अपीलान्ट को इस आराजी की खातेदारी नहीं मिल सकती । यह ■ गलत है । अपीलान्ट सं0■ को अधिकार मिल चुके है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-24 के प्रावधानों के अनुसार उत्तराधिकार मिलने से पूर्व पुनः शादी करने पर ही हक नहीं मिलता और उत्तराधिकार मिलने के बाद शादी करने पर हक खत्म नहीं होता ।अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।रेस्पोडेन्ट ने टीनेन्सी मिलने का ■ वैध आधार दर्ज नहीं किया । इस कारण दावे में टीनेन्सी पैदा होने के लिये बिनाय--मुखासतम दर्ज नहीं है । इस कारण दावा इसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिये किन्तु अदालत मातहत ने इस और भी कोई गोर न कर अपना निर्णय तथ्यों के विपरित पारित किया है ।रेस्पोडेन्ट ने दौराने भू-प्रबन्ध अपीलान्ट सं0-1 को मरा हुआ बताकर साजशी पर्चा लगान जारी करवाया । जिसका पता चलने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया गया तथा रेकार्ड को दुरूस्त करवाया गया है ।

रेस्पोडेन्ट ने दावे में घोषणा के लिये दावे में वैध आधार दर्ज नहीं किया है । अपीलान्ट संख्या-1 ने पुनः विवाह किया जाना दर्ज किया है किन्तु किस की मौजूदगी में विवाह दर्ज किया यह दर्ज नहीं किया है । मौका कमिश्नर रिपोर्ट में पूछताछ के आधार पर कब्जा साबित नहीं होता है ऐसी मौका रिपोर्ट को साक्ष्य में नहीं पढा जा सकता । अदालत मातहत ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का बिना विवेचन किये अपना निर्णय दिया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी अपीलान्ट के पति सवाईसिंह की खातेदारी की भूमि थी । सवाईसिंह के देहान्त के बाद इस आराजी की खातेदारी अपीलान्ट को प्राप्त हो गई । अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद यदि अपीलान्ट ने दूसरी शादी कर भी ली है तो अधिकार मिलने के बाद समाप्त नहीं होते हैं ।विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट का यदि कब्जा है तो भी वह किस हैसियत से है स्पष्ट नहीं है ।जबकि अपीलान्ट को यह आराजी उसके पति सवाईसिंह की मृत्यु के बाद प्राप्त हुई है । और यह खातेदारी दूसरी शादी करने से पूर्व प्राप्त हुये हैं। यदि शादी पहले हो जाती और अधिकार बाद में मिलते तो मेरी खातेदारी समाप्त हो सकती थी यहां पर दूसरी शादी से पूर्व मुझे इस आराजी के खातेदारी अधिकार मिले है । अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । रेस्पो0 ने दावे में दर्ज किया है कि अपीलान्ट के पति सवाईसिंह का कब्जा उसने चुकाया किन्तु यह नहीं बताया कि उसका कितना कर्जा था और किस को चुकाया । रेस्पोडेन्ट के कथन स्पष्ट नहीं है । रेस्पोडेन्ट का दावा साबित नहीं होते हुये भी अदालत मातहत ने विधि के विपरित तनकी संख्या-1 से 3 अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णीत कर अपना निर्णय दिया है । एक भी कर्जदार का कोई बयान नहीं है ।

न ही रेस्पोडेन्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने कर्जा किस को अदा किया । रेस्पो० का यह कथन भी गलत है कि दूसरी शादी कर ली इस कारण अपीलान्ट के अधिकार समाप्त हो गये हैं । दूसरी शादी करने से कभी भी अधिकार समाप्त नहीं होते हैं । रेस्पोडेन्ट ने दौराने सैटलमेन्ट गलत रूप से धमादिवी को मृत बता कर पर्चा लगान अपने नाम दर्ज करवा लिया । जिसकी जानकारी होते ही हमने रेस्पोडेन्ट पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करवा । तथा गलत इन्द्राज को शून्य करवा या गया । रेस्पोडेन्ट का एक ही उद्देश्य है कि इस आराजी को हडपना है चाहे कैसे भी हडपी जावे । विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार अपीलान्ट को मिल चुके है जो दूसरी शादी करने से समाप्त नहीं हो सकते । बहस के समर्थन में ए०आई०आर 2007 पेज-70, ए०आई०आर 1977(उडीसा) पेज-142, ए०आई०आर० 1889(उडीसा) पेज-10, आरबीजे 2000 पेज 123, एआईआर 1977(कलकत्ता) पेज 289, आरएलडब्लू 1968 पेज-193, आरबीजे 2002 पेज-434, डी०एन०जे०(एस०सी) 2007-08 पेज-90 पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय तनकीवाईज दिया है । विवादित आराजी पर हमारा कब्जा है । अपीलान्ट ने आज तक कोई कब्जा नहीं लिया है । अपीलान्ट धमादिवी दूसरी शादी कर इन्द्रगढ चली गई । धमादिवी के पति सवाईसिंह का देहान्त सन् 1979 में हुआ और धमादिवी ने सन् 1980 में नत्थूसिंह से दूसरी शादी कर इन्द्रगढ चली गई । इस प्रकार इस आराजी पर अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा नहीं रहा । इस आराजी पर हमारा ही कब्जा है । सवाईसिंह के खत्म होने पर कुटम्ब के लोगों ने कौमसिंह से कहा कि सवाईसिंह का कर्जा आप चुकाओं और उसके खाते की आराजी को आप काश्त करों तब मैने सवाईसिंह का कर्जा चुकाया और तब से लगातार इस आराजी पर कौमसिंह काबिज काश्तकार चला आ रहा है । धमादिवी ने इस आराजी का रेकार्ड कौमसिंह के नाम दुरूस्त भी करवा दिया जिसका पर्चा लगान भी बन गया

रेकार्ड में कौमसिंह का नाम नहीं दर्ज होने पर यह दावा पेश किया। दावा पेश होने के बाद अपीलान्ट ने गलत राजस्व रेकार्ड की आड में अपीलान्ट संख्या-3 को उक्त आराजी का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया जो कानून के विपरित है बिना कब्जा लिये किया गया विक्रय है जो केवल कागजी विक्रय पत्र है ।एडवर्स पजेशन के आधार पर विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार कौमसिंह को प्राप्त हो चुके हैं ।अपीलान्ट का कब्जा प्राप्त करने का कोई दावा भी नहीं है । अपीलान्ट ने जो नजीर पेश की है उनके तथ्य भिन्न है ।प्रस्तुत नजीरों में कब्जा अपीलान्ट के पास रहा है इस प्रकरण में कब्जा अपीलान्ट के पास नहीं है ।कब्जा रेस्पोडेन्ट के पास है । अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे । बहस के समर्थन में आरआरडी 1985 पेज 567, आरआरडी 1999 पेज-143, आरआरटी 2003(2) पेज 88। प्रस्तुत की ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श -2 पर्चा लगान आराजी ख0नं0 206 रकबा 2.79 हैक्टर रेस्पोडेन्ट कोमसिंह पुत्र भूरसिंह के नाम दर्ज है ।प्रदर्श-पी-1 जमाबन्दी सं0-2054 से 2057 में आराजी ख0नं0 206 रकबा 2.79 हैक्टर मु0 धर्मादेवी बेवा सवाईसिंह के नाम दर्ज है । प्रदर्श-5 नामान्तरकरण दिनांक 12-1-88 धर्मादेवी के बजाय कौमसिंह के नाम सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर(द्वितीय) के आदेश से भरा गया है । प्रदर्श -1 मिलान क्षेत्रफल में गत ख0नं0 151 मीन से हाल ख0नं0 206 रकबा 2.79 हैक्टर बना है । प्रदर्शडी-2 जमाबन्दी सं0-2044 से 2063 में विवादित आराजी धर्मा देवी की खातेदारी में दर्ज है । प्रदर्श डी ए-3 में ख0नं0 151 रकबा 19 बीघा 16 बिस्वा भूरसिंह वल्द लालसिंह की खातेदारी में दर्ज है । प्रदर्श-डी ए-4 जमाबन्दी में सं0-2023 से 2026 में ख0न0 103/1, 151,107 कुल किता-3 रकबा 36 बीघा 5 बिस्वा की खातेदारी सुगनसिंह,सुरजनसिंह,कालूसिंह,भरतूसिंह,कुम्भसिंह सवाईसिंह पि0 भूरसिंह के नाम दर्ज है । जो प्रदर्श-डी ए-5 जमाबन्दी सं0-2031 से 2034 तक रही। प्रदर्शडीए-6 में विवादित आराजी धर्मादेवी बेवा सवाईसिंह के नाम दर्ज है ।प्रदर्श डी ए-7 में भी धर्मादेवी के नाम दर्ज रही।प्रदर्श-डीए-9 में विवादित आराजी भूरसिंह की खातेदारी में दर्ज रही। प्रदर्श डी ए 10 में भी

खातेदारी भूरसिंह के नाम रही है । प्रदर्श-पी-3 में निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी खेतडी ने विधान सभा क्षेत्र सुरजगढ(24) के जाखोद ग्राम की मतदाता सूची में मु0 धमादिवी का नाम सम्मलित नहीं किया गया है । प्रदर्श डीए-15 मे ख0नं0 151 की खातेदारी भूरसिंह वल्द लालसिंह के नाम दर्ज है । प्रदर्श-पी-4 विक्रय पत्र दिनांक 19-11-99 में अपीलान्ट संख्या-1 ने अपीलान्ट संख्या-3 को विवादित आराजी का विक्रय किया है । प्रदर्श-डीए-13 में कब्जा कौमसिंह का बताया है। प्रदर्श-डी-14 में धमादिवी को फौत होने की रिपोर्ट भू-प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर को पेश कर धर्मा देवी की आराजी को कौमसिंह के नाम कराने का पेश किया । प्रदर्श-डी 18, 19का अवलोकन किया । प्रदर्श-19 में नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट सं0-3 रामावतार के नाम दर्ज किया गया है । प्रदर्श-6ए मौका कमिश्नर रिपोर्ट में विवादित आराजी पर कब्जा काश्त कौमसिंह रेस्पो0 का बताया गया है ।पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट एवं स्वीकृत है कि विवादित आराजी भूरसिंह पुत्रलालसिंह की खातेदारी में तथा बाद में सवाईसिंह पुत्र भूरसिंह एवं सवाईसिंह के देहान्त के बाद उसकी बेवा धमादिवी के नाम दर्ज रही है ।यह भी स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी पर कब्जा लगातार कौमसिंह का रहा है । तथा धर्मा देवी सवाईसिंह के देहान्त के बाद दूसरी शादी कर ग्राम इन्द्रगढ जिला रोहतक चली गई ।अर्थात सन् 1980 से ही धर्मा देवी ग्राम जाखोद में नहीं रही है । इसकी ताईद मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होने की जांच कर जिला कलेक्टर झुन्झुनू को भिजवाये गये पत्र से साबित है । पर्चा लगान व नामान्तरकरण धर्मा देवी से कौमसिंह के नाम सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर के आदेश से किया गया जो धर्मा देवी को मृत बताकर किया गया यह तथ्य रेकार्ड से गलत है धर्मा देवी जीवित है। धर्मा देवी को मृत बताकर जो कार्यवाही की गई वह गलत है ।सवाईसिंह सन् 1979 में खत्म हुआ तथा धर्मा देवी ने सन् 1980 में दूसरी शादी कर ग्राम इन्द्रगढ जिला रोहतक चली गई । अर्थात धमादिवी का इस आराजी पर सवाईसिंह के देहान्त के बाद कोई कब्जा नहीं रहा है । केवल सवाईसिंह के देहान्त के बाद अपीलान्ट धमादिवी को अधिकार प्राप्त हुये है। धमादिवी का निर्वाचक नामावली वर्ष 2005 हरियाणा प्रदर्श-6 से

स्पष्ट है कि धर्मा देवी इन्द्रगढ में रह रही है ।विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों में स्पष्ट है कि दूसरा विवाह करने से पूर्व अधिकार प्राप्त होने के बाद वह अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। किन्तु यहां पर विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा किसी भी दस्तावेज से साबित नहीं है तथा स्वयं ने भी यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर उसका कब्जा नहीं है । जबकि प्रस्तुत नजीरों में बेवा का कब्जा रहा है ।अपीलान्ट धर्मा देवी द्वारा दूसरा विवाह करना स्वीकार है तथा धर्मा देवी व इसके दूसरे पति नत्थु के नुत्फे से एक पुत्र व पुत्री होना भी स्वीकार है ।इससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने पूर्व पति का घर अर्थात पूर्व ससुराल को छोड दिया। प्रिंसिपल हिन्दू लां बाई मूला द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी पेज-122, 123 के द्वारा विधवा द्वारा पुर्नविवाह करने पर पूर्व ससुराल पक्ष में सम्पत्तियों में उसका हक समाप्त हो जाता है । इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट धर्मा देवी का पूर्व पति सवाईसिंह की सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता है ।क्योंकि दूसरा विवाह करने पर इस परिवार से अपीलान्ट की सामाजिक मृत्यु(डेथ) हो चुकी है और अब इस परिवार से उसका कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है ।दावा अदालत मातहत में जून 1999 में पेश किया गयाजबकि विक्रय पत्र दावा दायर करने के बाद 19-11-1999 को किया गया है जो लिस-पेन्डनेस के सिद्धान्त से प्रभावित है और इस प्रकार का विक्रय पत्र सैक्शन-52 ट्रान्सफर आफ प्रोपर्टी एक्ट के प्रावधानों के विपरित है ।विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट संख्या-3 के पक्ष में तस्दीक नामान्तरकरण भी कब्जा के अभाव में तस्दीक किया है तथा विक्रय पत्र भी केवल कागजी किया गया है क्योंकि कब्जा अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट का स्वीकार किया है । विक्रय पत्र सैक्शन-52 प्रोपर्टी एक्ट के प्राव-धानो के विपरित होने से शून्य है जिसके आधार पर अपीलान्ट संख्या-3 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ।अदालत मातहत ने अपना निर्णय तनकीवाईज पारित किया है । अदालत मातहत की तनकीवाईज निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं पाते हैं । जिससे यह स्पष्ट किया गया है कि अपीलान्ट

का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है ।तथा धर्मा देवी द्वारा दूसरा विवाह करने पर पूर्व पति के परिवार से सामाजिक मृत्यु(डेथ) हो जाने पर हिन्दू उत्तरा--धिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा प्रकट मत पर निर्णय को [illegible] आधारित किया जाता है ।तथा सवाईसिंह की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करने पर धर्मा देवी सवाईसिंह की कानूनी वारिस भी नहीं रही है । जिससे अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक दिया है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी चिडावा का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-6-2006 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 15.12.2017 को सुनाया गया ।

15/12/17

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर